Clause 3, as amended, was added to the Bill.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 1 (Short title)

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Madam, I move :

"That at page 1, line 4, *for* the figures 1971 the figures 1972 be *substituted.*

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : The question is :

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1. as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Madam, I move ;

"That at page 1, line 1, *for* the word 'Twenty-second' the word 'Twenty-third' be *substituted.*"

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : The question is :

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Madam, I move :

"That the Bill, as amended, be passed "

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : The House stands adjourned till 2 P.M.

The House then adjourned for lunch at fifty-nine minutes past twelve of the clock.

The House reassembled after lunch at two of the clock. THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) in the Chair.

THE PREVENTION OF FOOD ADULTERATION (EXTENSION TO KOHIMA AND MOKOKCHUNG DISTRICTS) BILL, 1971

THE MINISTER OE STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (DR. DEBIPRASAD CHATTOPADHYAYA) : I beg to move :

"That the Bill to extend the Prevention of Food Adulteration Act, 1954, to the Kohima and Mokokchung districts in the State of Nagaland, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Madam, this is a small piece of legislation, a sort of enabling legislation purported to extend the provisions of the Food Adulteration Act of 1954 to Kohima and Mokokchung districts of Nagaland. Before the 1954 Act different States had their own Food Adulteration laws but it was keenly felt at the time that to ensure a sort of uniform comprehensive legislation there should be one law under the purview of which all the States will be brought. At that time Nagaland was not a State. The Nagaland Act, 1962 was enacted to confer Statehood on Nagaland. At that time the districts of Kohima and Mokokchung formed a part of Nagaland Hill District which was then included in Part A of the Table below paragraph 20 of the Sixth Schedule to the Constitution. The administration of the district vested in the Governor of Assam. Under para 19 (1) (a) of the said Schedule the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 did not apply to the area comprising the districts of Kohima and Mokokchung as the Governor of Assam

did not issue the necessary order at that time. So the Act was extended only to Tuensang district and Kohima and Mokokchung were excluded. Now, to do a way with that legislative lacuna, we are bringing this piece of legislation so that this Act may be extended to these two districts of Nagaland as well. With this end in view we have decided to present this Bill before the House.

With these words, Madam, I commend this Bill to the House.

The question was proposed

श्री ओम् प्रकाश त्यागी (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदया, जो विधेयक खाद्य और मिश्रण का नागालैड तक विस्तार किया जा रहा है, मै उसका विरोधी हू और इस दृष्टि से विरोधी हू कि जिन क्षेत्रों मे इसको बढ़ाया जायेगा, वहा पर सिवाय सरकारी कर्मचारियों के लिये रिश्वत लेने का एक अवसर प्रदान करेगा और इसका कोई उद्देश्य नहीं होगा । यह जो बिल है वह लगड़ा और नपुसक बिल है जो इस देश मे अपने लक्ष्य की पूर्ति करने मे असफल हो चुका है। इसलिये इस बिल को वहा पर जिस लक्ष्य से लाया जा रहा है, वहा पर सिवाय भ्रष्ट कर्मचारियों की सहायता करेगा भ्रष्ट करने मे और इसके अतिरिक्त कुछ नही करेगा । (*Interruptions*) स्वास्थ्य मत्रालय ने एक कमेटी खाने पीने की चोजों को जाच करने के सम्बन्ध मे बनाई थी और उसका अपना यह मत है कि देश मे कोई भी खाने पीने की चोज ऐसी नही है, जिसमे अपमिश्रण और अडल्टरेशन करने वालो का ध्यान आकर्षित नहीं किया हो अर्थात् कोई भी वस्तु ऐसी नही है जिसमें मिश्रण न होता हो ।

सन् 1965 मे एक ऐक्ट पास हुआ और आज सात साल हो गये है स्थिति यह है मत्री महोदय कि अगर कोई आत्म-हत्या करना चाहे और बाजार से जहर खरीद कर लाये मरने के लिये तो वह शुद्ध जहर नही होगा । प्रातःकाल वह आदमी जहर खाने के बाद जीवित मिलेगा, मरेगा नहीं । आज यह अवस्था है कि शुद्ध जहर भी नही मिलता है । (*Interruptions*) देखा सभी ने है, पर मै आखो से देख रहा हू, लेकिन आप आख खोल कर भी अन्धे है तमाम के तमाम । आज दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आपकी जो बुद्धि है और आपको जो आंख है, इन दोनो पर पार्टीबाजी का मोतियाबिद का जाला छाया हुआ है जो आपको बोलने नही देता है और देखने भी नही देता है । (*Interruptions*) मुझे क्षमा कीजियेगा । आपने जब टोका है तो आप जवाब भी सुन लीजिये । मै यह बात नही कह रहा हू, मेरा अपना मत नही है, बल्कि स्वास्थ्य मत्रालय ने जो कमेटी बनाई थी उसका मत है जिसको मै पढ़ कर सुना देता हू । इसमें यह दिया हुआ है कि विभिन्न राज्यों मे दालो का जो मिश्रण है वह 5 से 100 प्रतिशत तक है । बटर और घी मे 12 से 50 प्रतिशत तक, चाय म 23 से 36 प्रतिशत तक, शराब आदि मे 44 से 75 प्रतिशत तक मिश्रण हो रहा है । शराब के नाम पर जो अल्काहोल है उनमें 75 प्रतिशत तक अप मिश्रण हो रहा है । यह मेरी रिपोर्ट नही है, यह स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है और उसके द्वारा नियुक्त की हुई कमेटी की रिपोर्ट है । इस रिपोट मे यह भी है कि जब से यानी 1965 से, जब यह ऐक्ट पास हुआ था तब से मिश्रण का कार्य, अपमिश्रण का कार्य 300 प्रतिशत ज्यादा बढ गया है । फिर भी आपको दिखलाई नही दे रहा है । मैं कहता हू कि मोतिया बिंद के अलावा और क्या है । इसके बाद भी आप कहते है नही है और यह रिपोर्ट मेरी अपनी रिपोर्ट नही है ।

(*Interruptions*)

SHRI DAHYABHAI V. PATEL : (Gujarat) : It is a parliamentary tradition that when a Member is making his maiden speech people do not interrupt him Unfortunately the opposite side has lost all its manners.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI OM MEHTA) : But he must not speak like that.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL : It

[Shri Dahyabhai V. Patel]

seems you do not know parliamentary traditions and manners. You would not say that if you had manners Nobody interrupts a speaker when he is making a maiden speech.

उपसभाध्यक्ष महोदया, मै स्वागत करता हू, लेकिन जो मुझे टोकेगा मै उसका जरूर जवाब दूगा। मै छेड़ना नही जानता, लेकिन जो मुझे छेडता है मै उसको छोडना भी नही जानता हू। (*Interruptions*) अगर ये छेड़ेगे तो मै कैसे छोडूगा। मै भी पार्लियामेट मे बहुत समय से रहा हू, नया नही हू। अगर आप छेडेगे तो नकद मे आपको सौदा मिलेगा, उधार नही, तुरन्त जवाब मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदया, कमेटी की रिपोर्ट है कि जब से ऐक्ट पास हुआ है तब से 300 गुना इस देश मे अपमिश्रण हो रहा है। चोर, डाकू और बेईमान के साथ किसी भी गवर्नमेट, किसी भी पार्टी, किसी भी व्यक्ति का कोई समझौता और सहानुभूति नही रहनी चाहिये। कोई भी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बाहर की सरकार हो या कोई भी व्यक्ति हो उसके साथ सहानुभूति का प्रश्न ही नही है, जो चीज सच है वह सच है, अपमिश्रण हो रहा है। इसका कारण क्या है? इस एक्ट के अनुसार सार अपमिश्रण को रोकने के लिये लोकल बोडीज को अधिकार दिया हुआ है और लोकल बोडीज मे भी सेनिटरी इन्स्पेक्टर को दिया हुआ है। वे पहले सेम्पिल लेते है। पहले तो सेम्पिल लेना ही मुश्किल है और अगर सेम्पिल ले तो वहा उसकी जाच करने की, एनालेसिस करने की व्यवस्था है, वे लेबोरेटरीज ऐसी दयनीय अवस्था मे है कि उनके पास पूरे साधन भी नही है जाच करने के लिये। तो प्राप्त करना, पहुचना मुश्किल है और जो अपमिश्रण करते है ये सब बिजनेसमैन है, पैसे वाले आदमी है, सेम्पिल लेते ही उनकी थैलिया चल पड़ती है, सेम्पिल रास्ते मे गायब हो जाता है और लेबोरेटरी मे बिलकुल नया सेम्पिल पहुचता हे। दूसरी चीज यह है कि यूनियन गवर्नमेट ने एक कमेटी नियुक्त की थी, उसकी रिपोर्ट यह थी कि अगर फूड एडल्ट्रेशन रोकना है तो 25 हजार व्यक्तियो के ऊपर एक होल-टाइम फूड इस्पेक्टर रहना चाहिये। आप आश्चर्य करेंगे कि देश मे जितने इस्पेक्टर होने चाहिये थे उनकी जगह 43 होल-टाइम फूड इस्पेक्टर इस वक्त है 1 लाख 30 हजार पर एक। इस ऐक्ट के अनुसार काम नही हुआ। फूड इस्पेक्टर्स की सख्या इतनी कम हो गई है कि वे देखने मे असमर्थ है। उसी कमेटी का कहना था कि इस देश मे 350 जिले और 150 टाउन्स के लिये कम से कम 500 लेबोरेटरीज चाहिये, तब यह अपमिश्रण रुक सकता है, परन्तु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केवल 63 लेबोरेटरीज है जो इस देश मे फूड अपमिश्रण रोकने के लिये काम कर रही है सेम्पिल को देख कर। इससे आप अन्दाजा लगा सकते है कि इस देश मे फूड एडल्ट्रेशन कैसे रुक सकता है। जब यह एक्ट यहा फेल हो गया है तो नागालैंड मे यह जादू कैसे करेगा। उपाध्यक्ष महोदया, मुझे विदेशों मे भी जाने का मौका मिला हे। कोई भी केस मुझे ऐसा नही मिला जहा यह सदेह हो किसी वस्तु को खरीदने मे कि यह मिश्रित होगी, कोई दूसरी चीज इसमे मिली होगी। आप लीजिये, शुद्ध चीज। मिलेगी। दाम भी एक मिलेगा। यहा दाम को छोड दीजिये, चीज शुद्ध मिले यही बहुत बडा सौभाग्य है। लोग शुद्ध समझ कर खाते है और वे खा क्या रहे है। इस देश मे बहुत से लोग है जिनमे धार्मिक भावना किसी हद तक है, कुछ लोगो को सुअर की चर्बी खाना बुरा लगता है, कुछ लोगो को धार्मिक दृष्टि से गाय का मास खाना, गाय की चर्बी खाना बुरा लगता है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा इस देश मे बाहर से, अमरीका से गाय और सुअर की चर्बी टनो मे आ रही हे और वह खुले आम घी के साथ मिश्रित हो रही है, वह सबको खिलाया जा रहा है, कौन रोकने वाला है। आप आश्चर्य करेगे, आप चादनी चौक चले जाइये, मै दूर की मिसाल नही देता, बर्फी के नाम पर जो सफेद .

श्री कल्याण चन्द (उत्तर प्रदेश) : वहा महापालिका है।

श्री ओम् प्रकाश त्यागी : वही कह रहा हू । क्या बुद्धि है । (*Interruption*) यह सिर है या कद्दू है ? मै दिल्ली की बात कह रहा हू चादनी चौक की ।

एक माननीय सदस्य · वहा तो महापालिका है ।

श्री ओम् प्रकाश त्यागी . वही कह रहा हू, थोडा बुद्धि से काम लो ।

उपाध्यक्ष महोदया, यह सर वे कहा रखेगे । मे तो समझ रहा था कि राज्य सभा मे सुलझे हुए लोग आते है । आप उनको रोक लीजिये । (*Interruption*) मै आर्य समाजी भी हू ।

गृह मत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : यह तो जाहिर ही है ।

श्री ओम् प्रकाश त्यागी . मै भी वही कह रहा हू ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) · आप कब से आर्य समाजी हो गये ?

श्री ओम् प्रकाश त्यागी : छेडो मत । उपाध्यक्ष महोदया, बर्फी खा रहे है और उसके नाम पर सफेद पत्थर उसके साथ मिला हुआ खा रहे है । आप सोचे कि उससे कितने बीमार होगे । मिश्रण को छिपाने के लिये ऐसे रग डाले जा रहे है कि जिनसे लोगो का कैसर हो रहा है, पेट की बीमारिया हो रही है । आप आश्चर्य करेगे, मसाले मे घोडे का लीद साफ करके, धोकर पिसे हुए मसाले के साथ दी जा रही है । महोदया, यह उनका ऐक्ट है । क्या इतना नैतिक पतन हो गया है कि आप सुनने का सामर्थ्य भी खो बैठे है । उपाध्यक्ष महोदया, मै वही कह रहा था कि और चीजो मे तो यह एडल्ट्रेशन सहन हो सकता था, लेकिन अब दवाइयो और इजेक्शनो मे भी बनावटी चीजे आ गयी है । क्या होता है और क्या नही होता है, यह चाहे दिल्ली मे होता हो या और कही होता हो, चाहे मै करता हू या मेरा बाप करता हो, जो पाप करता है वह पापी है और उसको हमे रोकना चाहिये और कानून ऐसा बनना चाहिये कि जो इस पाप को रोक सके । यही बात मै कह रहा हू । यह ऐक्ट नपुसक ऐक्ट है और यह ऐक्ट असमर्थ रहा है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नही । यह सिद्ध हो चुका है । इस देश मे यह ऐक्ट फेल हो चुका है । मेरी प्रार्थना माननीय मत्री जी से यह है कि वे इस ऐक्ट को लागू करे, मैं उनसे इस बात मे सहमत हू, यह ऐक्ट देश के कोने-कोने मे जाना चाहिये, जहा नही है वहा यह ऐक्ट लागू होना चाहिये, परन्तु इस ऐक्ट मे जो कमजोरिया है, मेरी ईमानदारी से आपसे प्रार्थना है कि उनको आप दूर करे ताकि आप बेइमानो को रोक सके, बेइमानी करने से और ऐसा ऐक्ट बना कर आप उसको देश के दूसरे हिस्सो मे ले जाकर लागू करे । इस ऐक्ट मे जितने लूपहोल्स है, उनको आप बन्द कीजिये और इसको ऐसा बनाइये जिससे दोषी बच न सके । दोषी जो एडल्ट्रेशन करता है वह सबसे बडा क्रिमिनल ऐक्ट करता है । मै समझता हू कि उस पर वही धारायें लागू होनी चाहिये कि जो किसी मनुष्य का कत्ल करने वाले पर लागू होती है या किसी सूसाइड करने वाले व्यक्ति पर लागू की जाती है । यही धारायें एडल्ट्रेशन करने वाले पर लागू होनी चाहिये और उसकी सख्त सजा होनी चाहिये ताकि खाद्य सामग्री मे कोई अपमिश्रण न कर सके । ऐसा ऐक्ट बन जाने के बाद लागू होना चाहिये । मैं आपके इरादे पर कोई हमला नही कर रहा । आपका इरादा अच्छा है, लेकिन आपके पास जो हथियार है वह हल्का है, ढीला है, वह बेकार है, निकम्मा है और इससे आपके लक्ष्य की पूर्ति नही हो सकेगी । दूसरी चीज यह है कि इस एक्ट के अनुसार जो सजा दी जा रही है वह इतनी हल्की है कि उससे एडल्ट्रेशन रुक नही सकता । इसमे थोडा बहुत जुर्माना होकर रह जाता है और वह उन लोगो पर कोई असर नही डालता । मै समझता हू कि जिस तरह से क्रिमिनल गुनाहो के लिये सजा दी जाती है

[श्री ओम् प्रकाश त्यागी]

वैसे ही एडल्ट्रेशन करने वालों को भी सख्त सजा दी जानी चाहिये ताकि वे अपने खानदान वालों से कह कर मरें कि अब कभी खाद्य सामग्री में मिश्रण मत करना। इस तरह की सख्त सजा का विधान इसमें होना चाहिये।

दूसरी चीज यह है कि परीक्षणशालायें ज्यादा होनी चाहियें ताकि सही रूप से परीक्षण हो सके और परीक्षण शालाओं में जो जांच के उपक्रम हैं वह भी अप-टू-डेट रहने चाहियें ताकि सही जांच की जा सके और जांच करने वाले इंस्पेक्टर्स पर भी सख्ती रहनी चाहिये। अगर कोई आदमी रिश्वत लेकर सेम्पिल चेंज करता है और एडल्ट्रेटर को बचाने की चेष्टा करता है तो उनके साथ भी सख्ती से व्यावहार किया जाना चाहिये और इस ऐक्ट में ही इसका प्राविधान होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदया, एक बात मैं और कहना चाहूंगा और वह यह है कि इस ऐक्ट में ऐसा भी विधान रहना चाहिए, ऐसा भी कनाज रहना चाहिये ताकि इस पाप को रोकने के लिये उपभोक्ता का सहयोग भी उसमें लिया जा सके। इस बुराई को, दोष को दूर करने के लिये उपभोक्ताओं की आवाज भी सुनने का इसमे कोई विधान हो, लेकिन इस ऐक्ट के अनुसार उपभोक्ता की आवाज को उपेक्षित कर दिया गया है, उसकी जानकारी का, उसके ज्ञान का कोई भी लाभ नही लिया जाता है।

महोदया, मैं इस ऐक्ट का विरोध नही करता, मैं इसके एक्सटेंशन का भी विरोध नहीं करता, केवल यही प्रार्थना करता हूं कि यह ऐक्ट वर्तमान स्वरूप मे लंगड़ा है, निकम्मा है, नपुंसक है। यह आपके लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा। मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना यही है कि जहां आप इसके विस्तार करने की बात चला रहे हैं, वहा यह अच्छा होता कि इस ऐक्ट में यह अमेंडमेंट करने से पहले इसको मजबूत बनाते ताकि इस देश में अपमिश्रण का पाप करने वाले बच न सकते, वे कटघरे में आ कर खड़े हो सकते और देश में खाने की चीजें शुद्ध मिल सकतीं। गरीबी दूर करने की बात है लेकिन गरीबी में ही जो रूखी सूखी रोटियां मिलती है, जो थोड़ा बहुत खाने की चीजें मिलती है वह भी मिश्रित मिलती हैं, शुद्ध रूप में मिल नहीं पातीं, गरीबी आप दूर कर सकेंगे इसमें हमें संदेह है लेकिन मेरा निवेदन है कि गरीबी में ही जो चीज प्राप्त करा रहे हो वह तो शुद्ध रूप में प्राप्त करा सको इतनी तो प्रार्थना हम कर सकते है। और वह केवल जरा सी बात में हो सकेगा कि इस कानून को जरा सख्त और कड़ा बनाओ, ऐसा बनाओ जिससे कि खाद्य में मिश्रण करने वाले बच न सकें।

इन शब्दों के साथ में इस लंगड़े, निकम्मे और नपुंसक ऐक्ट का विरोध करता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि इसके एक्सटेंशन से वहां भ्रष्टाचार बढ़ेगा, रिश्वतखोरी बढ़ेगी, लाभ नहीं हो सकेगा।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश): उपाध्यक्ष महोदया, इस विधेयक की जो मंशा है और जो इरादा है उसकी खिलाफत कोई करेगा ही नही, लेकिन अमल में यह कैसे आता है, उसके बारे में हमारे साथी लोग जिन्हे जानकारी है, वह इस बात को जानते है कि इस ऐक्ट के लागू होने से छोटे और गरीब व्यवसाइयों की कठिनाइया बढ़ जायेंगी।

महोदया, इस कार्य के लिये सैनिटरी इस्पेक्टर लोग मुस्तैद होते है, जिनकी ड्यूटी यह होती है कि वह खाद्य-पदार्थ को चेक किया करें और ये सैनिटरी इंस्पेक्टर लोग एक रिवाज कायम कर देते है कि उनके क्षेत्र में जितने भी दुकानदार है, उनसे वह महीना बाध लेते है, छोटे-छोटे दुकानदार जिनकी पूजी सौ रुपये, डेढ़ सौ रुपये या दो सौ रुपये है, जो अपना थोड़ा-थोड़ा सामान बेच करके गुजर करते हैं उनको ये सैनिटरी इंस्पेक्टर लोग इस कानून के तहत में, इस कानून को लागू करने के लिये, चैकिंग करते हैं और सीताराम केसरी जी को मालूम होगा ...

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : हां, उनको खूब मालूम है, इनका भी हिस्सा है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : . . . कि वह माहवारी बाध देते है ।

श्री सीताराम केसरी (बिहार) : आपके सब कुकर्मों की जानकारी मुझको ही है ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : आपका कोई नोटिस नही ले रहा है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : यह माहवारी बाध देते है, 15 रुपया, 10 रुपया हर दुकानदार से लेते है । दुकानदार इतने गरीब और छोटे है, उनका आमदनी इतनी सीमित है कि वह अपने बाल बच्चों के गुजर भर का भी उन छोटी-छोटी दुकानो से नही कमा सकते है और जब उनको 15 रुपया या 20 रुपया माहवारी इस्पेक्टर को देना होता है तो ला-मुहाला उस पैसे को नाजायज काम करके निकालते हैं वर्ना कहा से उस पैसे को लायें, कहने का मतलब यह है कि इस कानून के अन्तर्गत जिन्हें आप नियुक्त करते है, वह बजाय इसके कि कानून को सही तरीके से लागू करने के लिये काम करें, अपमिश्रण रोकने में मदद करें, उसके लिये काम करें, वह खाद्य मे अपमिश्रण और कराने का काम करते है । उनकी वजह से और इस कानून के लागू होने से खाद्य का अपमिश्रण बढ़ना है बजाये घटने के । मैं श्रीमन्, कहना चाहता हू कि जिस इलाके पर यह लागू किया जा रहा है, वह पहाड़ का इलाका है और पहाड़ के लोग जो बहुत सम्पर्क में नहीं है मैदान के लोगों से, उनसे ज्यादा ईमानदार है । मै यह कहने के लिये तैयार हू कि पहाड़ के लोग ज्यादा ईमानदार है, उनके अदर इस तरह का दोष बहुत कम है, मिलावट करना, बेईमानी करना, इस प्रकार का दोष बहुत कम है । हमारे जिले गोरखपुर के पास में, जो नेपाल का इलाका है उसमें जो पहाड़ के लोग हैं, शिक्षित तो कम है, मगर उनमे ईमानदारी की मात्रा बहुत है । कोई चीज रुपया गठरी उनको मिल जाती है उसको चोरी नहीं करते, बेईमानी नही करते, धोखाधड़ी नही करते वैसे ही यह भी इलाका है । मुझे विश्वास है कि वहां के लोग खाद्य में अपमिश्रण बहुत कम करते होंगे और वहां पर इस कानून को लागू करके, इसका विस्तार करके, यह होगा कि सैनिटरी इन्स-पेक्टर लोग दुकानदारों के पास पहुंच जाएगे, दस-दस मील पर कार्यालय खोल देगे, हर दुकानदार से दस-पन्द्रह माहवारी बाध लेंगे और जब दस-पन्द्रह रुपया माहवारी बाध देंगे तो वह छोटा दुकानदार 200 या 400 रुपये की पूजी वाला मजबूर हो जाएगा उस सैनिटरी इंस्पेक्टर का माहवारी कोटा देने के लिये उप-सभाध्यक्ष महोदया, इस कानून के उस क्षेत्र में लागू होने से वहां की जनता का कोई लाभ नहीं होगा और अपमिश्रण रुकने की बजाए, अगर वहां पर नहीं होता होगा तो भी होने लगेगा । इसलिये मै मंत्री महोदय से निवेदन करता हू कि अगर आप इसका विस्तार वहां करें, जैसा कि आप इस विधेयक से करना चाहते है, तो पूरी व्यवस्था मे कुछ इस तरह की तब-दीली ले आएं कि यह जो माहवारी बधा रहता है, उसमें जो दुकानदार उसको न दे तो दूसरे दिन इस्पेक्टर उसके पास पहुच कर अपने ही चपरासी को गवाह बना कर और अपना सैम्पल साथ ले जाकर उसी चपरासी को गवाह बना कर उस छोटे गरीब दुकानदार का चालान कर देगा, कोर्ट मे जाकर उसको परेशानी होगी और 200-400 रु० जुर्माना भी हो जायगा और उसके लिये बडी भारी मुसीबत हो जाएगी, तो इस बारे मे व्यवस्था लाई जाए । इसलिये मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून का विस्तार करना चाहते है तो करें, लेकिन उसमें कुछ ऐसा संशोधन करें कि ऐसा न हो कि छोटे और गरीब व्यवसायी राहत पाने की बजाए मुसीबत पाएं । इस व्यवस्था के अदर उनको सही मानों मे राहत पहुंचे और जिस मकसद, जिस इरादे से इस विधेयक को लाया जा रहा है, वह मकसद और इरादा सही मानी में पूरा हो ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदया, इस विधेयक से सिद्धांततः

[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]

हमें विरोध नहीं लेकिन मुझे इस सम्बन्ध में कुछ विशेष रूप से यह कहना है कि आज जहां यह विधेयक आपरेट होता है, जहां वास्तव में इस विधेयक का आपरेशन है, वह छोटे दुकानदारों तक सीमित है जो कि वास्तव में मिलावट नहीं करते हैं। जहा पर बड़ी मात्रा में चीजों का निर्माण होता है, निमाण होने वाले स्थल के ऊपर, वहा के बारे में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अपने विभाग से आंकड़े मंगवा कर देखें। उनके द्वारा पिछले दो, तीन और चार सालों में जितने चालान हुए हैं उनमें छोटे दुकानदारों की सख्या कितनी थी और बड़े कारखानेदारों की संख्या कितनी थी। आज जो छोटे दुकानदार हैं, जो जनता को सामान बेचते हैं उनका चालान किया जाता है लेकिन अधिकांश जो मिलावट चीजों को होती है वे बड़े-बड़े व्यापारी करते हैं, छोटे व्यापारी नहीं करते हैं। बड़े लोग पकड़ में नहीं आते हैं और इसीलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब वे जवाब देने के लिये खड़े हों तो इस प्रकार के आंकड़े एकत्रित करके बतलायें कि इस ऐक्ट के अन्तर्गत जिन लोगों का चालान किया गया है, उसमें छोटे दुकानदारों की सख्या कितनी है और बड़े-बडे कारखाने वालों की संख्या कितनी हैं जो माल का निर्माण करते हैं वे ही मिलावट करते हैं, मगर वे पकड़े नहीं जाते हैं।

एक और विषय के सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मुझे पता नहीं कि सरकार का इसमें कौनसा स्वार्थ है कि वह हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती है, जो हमारी तरफ से कई बार रखा जा चुका है। आज जो वेजिटेबल आयल है वह शुद्ध घी के साथ मिलाया जाता है। हमने कई बार मांग की है कि वेजिटेबल आयल को रंग दिया जाय। हमारी यह मांग कई वर्षों से चली आ रही है, मगर सरकार की ओर से बराबर ठुकरा दी जाती है। सरकार की ओर से हमेशा ही यह जवाब दिया जाता हैं कि हम अभी तक ऐसे किसी रंग का निर्माण नहीं कर पाये हैं। मुझे पता नहीं है कि सरकार के इतने कर्मचारी है, इतनी लेबोरेटरी हैं, फिर भी वह वहां पर इस तरह का कोई रंग तैयार नहीं करा सकती है जोकि वेजिटेबल आयल में मिला दिया जाय ताकि उसको शुद्ध घी में शामिल न किया जा सके। इस बात का पता चल सके कि शुद्ध घी कौनसा है और वेजिटेबल आयल कौनसा है। सरकार का इसमें इंटरेस्ट है; क्योंकि जितने भी बड़े-बड़े वेजिटेबल आयल के मिल वाले है वे कांग्रेस के भाइयों को पैसा देते रहते हैं और इस तरह से उनका स्वार्थ सिद्ध होता रहता है। अगर सरकार का इसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है, तो क्या हमारी सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय कोई ऐसा रंग नहीं ढूढ सकती है, क्या देश में इस तरह की कोई लेबोरेटरी नहीं है जो इस प्रकार का रंग तैयार कर सके, जिसके द्वारा वेजिटेबल आयल को शुद्ध घी में मिलाने से रोका जा सके। वह जो मिलावट की बीमारी है वह वेजिटेबल आयल को रंग देने से दूर हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार का इसमें इन्ट्रेस्ट नहीं है। अगर सरकार का इंट्रेस्ट होता तो खाने पीने की दृष्टि से शुद्ध घी में जो वेजिटेबल आयल मिलाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिये हानिकर है, उसको रोका जाता। हमने सरकार को जो यह सुझाव दिया है कि वेजिटेबल आयल को कलर किया जाय उसको सरकार मानने के लिये तैयार नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से इस सम्बन्ध में स्पष्ट उत्तर चाहूंगा कि जितने बड़े-बड़े कारखाने हैं, जहां पर प्रोडक्शन का कार्य होता है उनका कितना चालान किया गया और जो छोटे दुकानदार हैं उनके चालान की क्या संख्या है। इसके साथ ही साथ वेजिटेबल आयल को कलर करने की दृष्टि से सरकार के सामने कौनसी समस्या है, कौनसी दिक्कत है, जिसकी वजह से वह इसको कलर करने के लिये तैयार नहीं है और घी में जो मिलावट वेजिटेबल आयल की हो रही है उसको रोकने के लिये तैयार नहीं है। मैं इन बातों का माननीय मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर चाहूंगा।

DR. DEBIPRASAD CHATTOPADHYAYA : Madam Vice-Chairman, while introducing this Bill I tried to humbly point out that the objective of this piece of legislation is very limited and restrictive...

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : The scope of the Bill is very wide.

DR. DEBIPRASAD CHATTOPADHAYYA : The scope of the Bill is not before the House for formal consideration...

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : But the Health Minister should take not of it.

DR. DEBIPRASAD CHATTOPADHYAYA : Yes, I will take note of the valuable suggestions offered by my honourable friends. But the question is whether this Bill should be extended to Kohima and Mokokchung districts. About that I am glad to find that my friends have no objection at all. The other questions, very pertinent questions, that they have raised about this particular Act are well known. I must say that many of them are valid, justified and warranted. But about the loopholes of the Act we are not unaware of them. I would like just incidentally to mention that the agencies and the machinery responsible for the implementation of the provisions of the Act are being strengthened. In the current five year plan we have provided a sum of Rs. 42 lakhs for further strengthening the agencies so that the loopholes of this Act could be plugged in practice. We are not unaware of the dangers and hazards involved in adulteration of the food articles. If we defer the extension of this Act to these two districts till we improve the Act and plug the loopholes, I think in that process we will be creating more problems than really solving them. I think the extension of this Act to those two districts will not create any additional problems. Rather that will help to combat the problems in those two districts.

About my friend Shri Mathur's suggestion that only the poor shop-keepers are punished, I am not quite sure about it. I find that in 1969 about 6,122 persons were punished for violating this way or that way the provisions of this Act.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : How many of them are big business people ?

DR. DEBIPRASAD CHATTOPADHYAYA : I am not ready within that figure. But I can assure him that all these 6,122 persons are not shop-keepers because even those who store the adulterated food and those who manufacture and those who are responsible for carrying these articles to the consumers and shop-keepers who store them are also liable for prosecution. I can very well presume—and it is a valid presumption—that many of these 6,122 are of that category and are not exclusively shop-keepers.

SHRI S. S. MARISWAMY (Tamil Nadu) : How many of them are like that ?

DR. DEBIPRASAD CHATTOPADHYAYA : That figure is not readily available with me. I can also submit that after the enactment of this Act the number of samples of adulterated food has also gone down considerably. In 1965 it was nearly 31 per cent ; now it is only 22 per cent. So, this statistical down curve is also an unmistakable proof of the fact that the danger and hazards of adulteration are being effectively combated.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : What about colouring of vegetable oil ?

DR. DEBIPRASAD CHATTOPADHYAYA : That is being looked after not only by this Act, but also by the provisions of the Drugs and Cosmetics Act. So far as this Act is concerned, we simply want to extend it to those two districts of Nagaland. With these words, I commend the Bill to the House.

THE VICE-CHAIRMAN : (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : The question is :

> "That the Bill to extend the Prevention of Food Adulteration Act, 1954, to the Kohima and Mokokchung districts in the State of Nagaland, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : We shall now take up clause by clause consideration of the Bill. There are no amendments to clause 2 of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1—Short Title

DR. DEBIPRASAD CHATTOPADHYAYA : Madam, I move :

2. "That at page 1, line 4, for the figures '1971' the figures '1972' be substituted."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : The question is :

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

DR. DEBIPRASAD CHATTOPADHYAYA : Madam, I move :

1. "That at page 1, line 1, *for* the word 'Twenty-second' the word 'Twenty-third' be substituted."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : The question is :

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill.

The motion was addopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

DR. DEBIPRASAD CHATTOPADHYAYA : Madam, I move :

"That the Bill, as amended, be passed "

The motion was adopted.

THE DEPARTMENTAL INQUIRIES (ENFORCEMENT OF ATTENDANCE OF WITNESSES AND PRODUCTION OF DOCUMENTS) BILL, 1971.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : Madam, I beg to move :

"That the Bill to provide for the enforcement of attendance of witnesses and production of documents in certain departmental inquiries and for matters connected therewith or incidental thereto as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Madam, under the existing Rules, Inquiry Officers are being appointed to conduct departmental inquiries. But, these Officers have no statutory powers to enforce the attendance of witnesses or production of documents in such inquiries. While no difficulty is normally experienced in producing the witnesses who are public servants, private parties called upon as witnesses are often found to be reluctant in appearing before the Inquiry Officers. Quite often the hearings in departmental inquiries have to be adjourned just with a view to persuading the private parties to attend such inquiries in the interest of better justice. On the other hand there have been some cases which fell through, because some private parties who were material witnesses refused to appear before the Inquiry Officers.

The Santhanam Committee on Prevention of Corruption had, *inter alia*, recommended that :

"the powers to summon and compel attendance of Witnesses and production of documents should be conferred on the Inquiring Authorities in departmental proceedings by a suitable legislation".

The Central Vigilance Commission had, in their Second Annual Report for 1965-66, also recommended in the following terms the necessity of conferring such power on the Inquiry Officers :

"An important factor which holds up the progress of oral inquiries dealt